



श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०।

PBR/अपील/भोपाल/स्टाम्प अधि/2018/1510 द्वितीय अपील कं. / 2018

रफीक मो. पुत्र श्री उस्मान मो. आयु व्यस्क,

निवासी- कोयले वाली गली,
शाहजहाँनाबाद भोपाल म०प्र०।

आयुक्त कोष
6-26-21701

जात B
262

विरुद्ध

म०प्र० शासन द्वारा

कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ

जिला पंजीयक, जिला पंजीयक कार्यालय

39/6, परिबाजार, बेनजीर भवन भोपाल म.प्र.

85

अपीलार्थी

अपीलक श्री. प्रकाश सिंह
आप आप दिनांक 12.1.2018
को पेश।

अपीलक

प्रत्यार्थी



द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 47(5) भारतीय मुद्रांक अधिनियम।

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/09/17 जो कि उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक 712/अपील/12-13 (आयुक्त महोदय का प्रकरण क्रमांक 206/अपील/11-12) (रफीक मो० विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) में पारित किया है से दुखी एवं क्षुब्ध होकर निम्नालिखित कारणों एवं आधारों पर अपील पेश की जा रही है।

XXXIX(a)-BR (H)-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

7

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ^{अपील} PPR/28/भाषण/18/1510 भाग-अ

तहसील रूपीय मोहम्मद विरुद्ध शायज
जिला झीराल

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.
अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.
वाद का विषय
अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28-2-18	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. . . 15-9-17 के विरुद्ध श्री <u>पुकार सिंह जाट आदि</u> के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील / पुनरीक्षण / पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आंकान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p> <p>प्रस्तुतकार श्री <u>पुकार सिंह जाट</u> उप.। उनके द्वारा उक्त सत्र न्यायालय में उक्त करने हेतु अपील जादा गया। आवेदन के निवेदन पर उक्त सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु अपील किया जाता है।</p>	<p>26/2/18</p> <p>28/2/18</p> <p>28/2/18</p>